



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती डाली बनाम अशोक कुमार (वैर)

किस्म मुकदमा प्री.पत्रा 111-128 नं. 132 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें ! पत्रावली दिनांक 28-6-23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>उपरोक्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं और न्याय पर हैं। बदरिक्त हैं। अव: पत्रावली दिनांक 25-7-23 को पेश हो।</p> <p> रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल</p>	
25/7	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्राधीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाह पठ किये गये। विपक्षीगणों को कितनी बार-बार कह-कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं बने। बिकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राधीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्राधीगण का जा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र से लिखा जाकर शाह पठ किया गया। पत्रावली फर्द नुमांर होकर नम्बर से कम है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 132/23 प्रोपत्र

1- श्रीमती डाली पं० द्वारा लात बलाई निवासी-मैलियास तहसील माण्डल (वैरा)

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री अशोक कुमार ६/० श्री पुनः पोतग तिवाड़ी (दादा) निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (वैरा)
(सहसंकेत प्रोपत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक:- 25.07.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मैलियास पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 757/70 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मैलियास पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 757/70 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकरी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भोजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा